न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 30 / 2022

1 मूली देवी पत्नी मोहन।
2 हरिसिंह पुत्र मोहन।
3 कौशल्या पत्नी बदरी।
4 प्रदीप पुत्र राकेश।
5 मुस्कान पुत्री राकेश।
6 अंजू देवी पत्नी राकेश।
7 भोमाराम पुत्र छीतर।
8 विक्की पुत्र रामलाल।
9 घोटी देवी पत्नी बनवारी।
10 महिपाल पुत्र बनवारी।
11 सांवरमल पुत्र बनवारी।
12 लीलाराम पुत्र बनवारी।
13 मनीष पुत्र बनवारी।
14 केसरी पत्नी मूलचन्द।
15 कमलेश पुत्र मूलचन्द।
16 रतन पुत्र मूलचन्द।
17 भंवरी पत्नी रामनारायण।
18 किशन पुत्र रामनारायण।
19 मदन पुत्र रामनारायण समस्त जाति मीणा निवासीगण होद तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नर्बदा पत्नी सुवा।
2 रामेश्वर पुत्र सुवा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3 फूली पत्नी मोहन।
4 राहुल पुत्र मोहन।
5 संजय पुत्र मोहन।
6 रामेश्वर फौत।
6/1 रामअवतार पुत्र रामेश्वरलाल।
6/2 श्यामसुन्दर पुत्र रामेश्वरलाल।
6/3 विजय पुत्र रामेश्वरलाल।
6/4 दिलीप पुत्र रामेश्वरलाल।
6/5 राजकुमारी पुत्री रामेश्वरलाल।
6/6 प्रेमलता पुत्री रामेश्वरलाल।
6/7 सीमा पुत्री रामेश्वरलाल समस्त जाति मीणा निवासीगण दुल्हेपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2019
मुकदमा नम्बर 145/2018 बउनवानी मोहन आदि
बनाम नर्बदा आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहनसिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—2-5-23

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 145/2018 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 3 ता 6,9 से 13 के पति एवं पता एवं अन्य अपीलांट/वादीगण ने विरूद्व प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 8 के एक वाद इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.26 हैक्टेयर वाके होद तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 672 थे जो वादीगण वक्त बुर्जुगान अर्थात प्रथम सेटलमेन्ट से काफी पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व काश्त करते आ रहे है। खसरा गिरदावरी में काश्त वादीगण के पूर्वजो की अंकित है परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती से राजस्व रिकार्ड गफलत पूर्वक प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है खसरा गिरदावरी सजरा खानदान एवं लगान की रसीद तथा आपसी बाहमी बंटवारा के अनुसार खसरा नम्बर 1030 रकबा 1.08 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादीगण खसरा नम्बर 1 व 2 के हिस्से में जो सांवता के वारिसान है व खसरा नम्बर 1022,2029 सम्पूर्ण में से 1/2 हिस्सा मृतक पूरण के वारिस वादी संख्या 3 व 4 तथा शेष 1/2 में से 1/3 वादी संख्या 5 व 1/2 में से 1/3 मृतक मूलचन्द के वारिसान वादी संख्या 6 ता एवं 1/2 में से 1/3 मृतक रामनारायण के वारिस वादी संख्या 10 ता 12 के हिस्सा में आया हुआ है। इन भूमियो के खातेदार भगवाना व मदन ने आपसी समझाइस से अपना हिस्सा की भूमि का विक्रय लेख वादीगण के पक्ष में हिस्सानुसार करवा दिया है एवं वादीगण को उक्त भूमियों का वाद पत्र की मद संख्या 15 की सबमद क,ख के अनुसार खातेदार घोषित किया जावें। उक्त आशय के वाद के प्रतिवादीगण के पास सम्मन जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 7,8 बाद तामिल हाजिर नही हुए एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का कोई व्यक्ति गांव में नही होने की रिपोर्ट नोटिस पर आने से प्रतिवादी संख्या 6 की तामिल जरिये समाचार पत्र करवायी व वादीगण ने अपनी साक्ष्य हेतु पीडब्लू 1 से पीडब्लू 4 शपथ पत्र पेश किये एवं दिनांक 17.11.2019 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी संख्या 2 व 5 ही वाद की पैरवी हेतु अधिवक्ता के पास जाते थे। वादी संख्या 2 व 5 का निधन क्रमशः 2019 व 2021 में हो जाने से अपीलांट को उनके अधिवक्ता की जानकारी नही होने से निर्णय की जानकारी नही हो सकी। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण पर तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों के विपरित विधिक प्रकिया की पालना किये बिना पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना आदेशिका में विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 6 की जरिये अखबार सम्यक तामील करवाई गई थी। इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नही हुआ था। अपील में उपस्थित तथाकथित रामेश्वर के वारिसान है अथवा नही इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विधिक प्रकिया अनुसार गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 6 रामेश्वर की मृत्यु 04.03.2008 को हो चुकी थी। विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व दावा प्रस्तुत किया गया था। अपील भी मृत व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपील एंव वाद दोनो ही चलने योग्य नही है। विचारण न्यायालय में वादीगण ने प्रतिकुल कब्जे के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है। विधि अनुसार प्रतिकुल कब्जे के आधार पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है। वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नही करवाया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2019 पेज 500, 148,449, आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 1110,1430 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित विचाराधीन निर्णय आदेशिका में पारित किया है। विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का कोई विवेचन नही किया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपील में रेस्पोडेंट संख्या 6 के वारिसान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 6 रामेश्वर की मृत्यु 04.03.2008 को हो चुकी थी किन्तु यह तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर नही था। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 6 के वारिसान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 6 के वारिसान का जवाब दावा प्राप्त कर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.05.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 02/05/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते